नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राष्ट्रीय लोक अदालत 2017 , न्यायालय केम्पस सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, R.A.S.

राजस्व विविध सं. 82 / 2016
दायरा तिथि 28.12.2016
आदेश तिथि 11.02.2017

प्रार्थी :– **बनाम :** **अप्रार्थी :–**

राजेश परिहार पुत्र कांतिलाल परिहार
जाति माली, निवासी सुमेरपुर
तह. सुमेरपुर

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार (भूमिधारी) , सुमेरपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) RTAct,1955

उपस्थितः–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कांतिलाल परिहार उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से सरकारी पेरोकार तहसीलदार (भूमिधारी), सुमेरपुर उपस्थित।

–: आदेश :–

आदेश तिथि 11.02.2017

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है :–

(1) कि उपरोक्त अनवान की पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प सुमेरपुर दिनांक 11.02.2017 कोर्ट सुमेरपुर में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा जाखोडा पटवार सर्कल कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं 536, 540 / 1 रकबा क्रमशः 0.40, 0.15 हेक्टर किस्म जवाई नहरी भूमि राजस्व रेकर्ड में राजेश परिहार पुत्र कांतिलाल परिहार कौम माली निवासी सुमेरपुर के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी के स्वामित्व व कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है, जिसमें कृषि कार्य व देखभाल करने हेतु पडोस में उत्तर दिशा की तरफ की राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नं 557 रकबा 6.36 है. किस्म गैर मुमकीन पत्थर में सें 10X150 फीट , कुल 1500 वर्ग फीट प्रस्तावित रास्ता भूमि जो नजरी नक्शा में बरंग–लाल से दर्शित है व मौके पर कदीमी से उपयोग व उपभोग में आ रहा है, को कतिपय प्रावधानों के तहत सुखाधिकार हेतु गै.मु.रास्ता घोषित करावे।

(2) कि तहसीलदार सुमेरपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट में कथन किया है कि ग्राम जाखोडा पटवार सर्कल कोलीवाडा में स्थित भूमि खसरा नं. 536, 540 / 1 रकबा क्रमशः 0.40, 0.15 हेक्टर किस्म जवाई नहरी भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी रमेश कुमार व अन्य खातेदारों के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज है, प्रार्थी को उक्त खातेदारी भूमि में कृषि कार्य व देखभाल करने हेतु आने–जाने के लिए प्रस्ताावित रास्ता भूमि के अलावा अन्य कोई मौके पर रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को संलग्न नक्शा–ट्रेस में बरंग–लाल से बिन्दु A लगाय B तक दर्शाया है जिसका क्षेत्रफल चौडाई में 04 मीटर व लम्बाई में 100 मीटर कुल 400 वर्ग मीटर कुल अर्थात रकबा 0.04 हैक्टर बनता है। इसके अलावा तहसीलदार सुमेरपुर ने कथित रिपोर्ट में यह भी व्यक्त किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई प्रस्तावित रास्ता भूमि खसरा नं. 557 में सें वर्तमान मे कोई मार्ग नही है, उक्त खसरे में उत्तर दिशा में नेतरा सरहद पर रोजडा माइनर के किनारे चलने वाला मार्ग मौजूद है जो प्रार्थी की भूमि से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रार्थी की भूमि से लगता खसरा नं. 535 रकबा 0.56 है, किस्म नहरी अव्वल राजकीय सिवायचक दर्ज है जो कि खसरा नं 525 रकबा 0. 49 है. किस्म गै.मु. रास्ता से लगता है जो प्रतिबंधित नहीं होने से उपयुक्त है इसके अलावा प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर आने–जाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली

लगातार–2

Scanned by CamScanner

(3) कि फलस्वरूप उल्लेखित विश्लेषण, विवेचन तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः जमाबंदिया संवत् 2057–2060 नक्शा–ट्रेस, नजरी नक्शा इत्यादि तथा तहसीलदार सुमेरपुर की तथाकथित जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के कथित प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्ठि होती है और जिसके फलतः हमारे विधिक मतानुसार प्रार्थी का कथित प्रार्थना पत्र स्वीकार करके प्रार्थी को उल्लेखित अपनी खातेदारी भूमि पर कृषि कार्य व देखभाल करने हेतु आने–जाने व सुखाधिकार के लिए कतिपय प्रावधानों के तहत प्रस्तावित रास्ता भूमि को सार्वजनिक रूप से गै.मु.रास्ता भूमि घोषित करना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण व विवेचन तथ्यों के परिणामतः एवं राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रार्थी का कथित प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी को कतिपय प्रावधानों के तहत सुखाधिकार हेतु ग्राम जाखोडा में स्थित नं 536, 540/1 में आने जाने के लिए खसरा नं. 535 रकबा 0.56 है. किस्म नहरी अव्वल में सें चौडाई में 04 मीटर व लम्बाई में 100 मीटर अर्थात कुल 400 वर्ग भूमि कुल रकबा 0.04 हेक्टर जो नजरी नक्शा में बरंग–लाल से दर्शित है व नक्शा–ट्रेस में बरंग–लाल से दर्शित बिन्दु A लगाय B तक की प्रस्तावित रास्ता भूमि को इस सशर्त पर सार्वजनिक उपयोग हेतु गै.मु. रास्ता घोषित किया जाता है कि उपरोक्त घोषित रास्ता भूमि के क्षेत्रफल अनुसार वर्तमान प्रचलित बाजार दर/ DLC अनुसार तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा मूल्यांकन करवाकर देय राशि की दो–गुणा राशि प्रार्थी द्वारा नियमानुसार राजकीय कोष में जमा करायी जावे। तदनुपरांत तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का कोलीवाडा माफिक आदेश घोषित रास्ता भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर नक्शें में तरमीम करें। नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न भाग माना जायेगा।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प न्यायालय केम्पस सुमेरपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर(पाली)

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान)

Scanned by CamScanner